न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO. TS 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
14.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 सुन्दरपति देवी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 16.04.2024 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 सुन्दरपति देवी की ओर से दिनांक 16.04.2024 को आदेश 39 नियम 4 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 सुन्दरपति देवी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 16.04.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद सं0–02 में वर्णित भूमि पर स्वत्व की घोषणा एवं दखल कब्जा की सम्पुष्टि एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। वादपत्र के मद सं0–04 में दी गयी भूमि मद सं0–02 में दी गई भूमि का अंश है तथा परिवार में हुए जुबानी बंटवारा के आधार पर यादास्त कोरा पंचनामा बंटवारा दिनांक 19.12.2006 वादी एवं प्रतिवादी सं0–02, 03 एवं 04 की सहमति से पंचों के समक्ष तैयार हुआ तथा उसी के आधार पर वादपत्र के मद सं0–02 में वर्णित भूमि वादी के हिस्सा एवं दखल कब्जा में चला आया तथा मद सं0–04 में वर्णित भूमि विवादित भूमि को वादी के पिता प्रतिवादी सं0–02 ने वादी की माँ प्रतिवादी सं0–01 को निबंधित बक्ख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 20.02.1995 को लिखा दिया है जो अवैध निष्प्रभावी एवं शुन्य दस्तावेज है। प्रतिवादी सं0–01 का आगे कहना है कि वादपत्र के मद सं0–04 में वर्णित विवादित भूमि प्रतिवादी सं0–01 को अपने भाईयों से कोरा पंचनामा बंटवारा दिनांक 16.01.1993 के द्वारा हिस्सा एवं दखल कब्जा में प्राप्त हुआ है	

लगातार 14.11.2024	तथा प्रतिवादी सं0–01, प्रतिवादी सं0–02 की दूसरी पत्नी है। इसलिए भरण पोषण हेतु मद सं0–04 में वर्णित भूमि सहित अन्य भूमि प्रतिवादी सं0–02 ने प्रतिवादी सं0–01 को निबंधित बक्स्शीशनामा दस्तावेज द्वारा हस्तानांतरित कर दखल कब्जा दे दिया तथा अंचल द्वारा शांतिपूर्वक दखल कब्जा देखते हुए जमाबंदी सं0–621 बनाम प्रतिवादी सं0–01 सृजित कर अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत किया जा रहा है तथा साथ ही कब्जें के संबंध में भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है। प्रतिवादी सं0–01 का आगे कहना है कि वादी ने वादपत्र में कोरा पंचनामा बंटवारा दिनांक 19.05.2006 के द्वारा विवादित भूमि स्वयं के हिस्से में प्राप्त होने की बात कही है जो बिल्कुल झुठ एवं मनगढंत है क्योंकि इस पंचनामा कोरा बंटवारा के अवलोकन से प्रतीत है कि इस पर कहीं भी प्रतिवादी सं0–01 का हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही मौखिक या लिखित रूप से सहमति ली गई है। इसके अलावे प्रतिवादी सं0–06 को भी हिस्से में 17 कट्ठा भूमि देने की बात कहीं गयी है जबकि इस बंटवारा पर प्रतिवादी सं0–06 की सहमति लिखित या मौखिक रूप से नहीं ली गई है जिसे वादी ने अपने गवाही के प्रतिपरीक्षण के पारा 45 में स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0–06 ने अपने लिखित कथन में स्पष्ट कहा है कि मुझे कोई भूमि हिस्सा में प्राप्त नहीं हुआ है और न ही प्रतिवादी सं0–06 का कोई हस्ताक्षर है न ही मौखिक या लिखित सहमति है। कोरा बंटवारा का कागज फर्जी, बनावटी एवं मनगढंत है। प्रतिवादी सं0–01 का आगे कहना है कि वादी ने अपने गवाही के पैरा 02 में कथन किया है कि वादी को 01 बिगहा 06 कट्ठा 07 धुर भूमि हिस्सा में मिला है जबकि वादपत्र के मद सं0–02 में 01 बिगहा 03 कट्ठा 02 धुर भूमि हिस्सा में प्राप्त होने का कथन किया है।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO. TS 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.11.2024	विवादित भूमि का विवरण वादपत्र के मद सं0–04 में दिया है तथा न्यायालय को धोखे में रखकर तथा मिसलीड कर वादपत्र के मद सं0–02 में वर्णित भूमि पर यथास्थिति का आदेश प्राप्तकर वाद को मनमाने तरीके से लंबित रख कर प्रतिवादी सं0–01 को तंग तबाह करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं0–01 का आगे कहना है कि श्रीमान् के न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 15.04.2019 को वादी द्वारा दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 29.11.2018 के आलोक में आदेश दिनांक 15.04.2019 को पारित किया कि ''वादपत्र के मद सं0–02 में दी गई वादग्रस्त भूमि पर वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है तथा जहा तक वादग्रस्त भूमि में लगी फसल को कटवाने का प्रश्न है इस बिन्दु पर उभय पक्षों की अग्रिम सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जायेगा''। वर्तमान में प्रतिवादी सं0–02 जो प्रतिवादी सं0–01 के पति थे उनके स्वर्गवाश के बाद भरण पोषण एवं दवा ईलाज हेतु कोई संसाधन नहीं रह गया है क्योंकि मद सं0–04 में वर्णित भूमि जो निबंधित बक्ख्शीशनामा के आधार पर वाद दाखिल करने से करीब 24 वर्ष पूर्व से शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं जोत आबाद में रहता चला अर रहा था जिस पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया गया जिससे प्रतिवादी सं0–01 द्वारा जोत आबाद करने पर वादी स्थानीय पुलिस एवं असामाजिक तत्वों को मेल में लेकर फसल नष्ट करवा दे रहा है। प्रतिवादी सं0–01 का आगे कहना है कि पूर्व में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के समय न्यायालय के समक्ष वाद से संबंधित सभी तथ्य एवं कागजात अभिलेख पर दाखिल नहीं हो सका था तथा अधिवक्ता आयुक्त का जांच भी प्रतिवादी सं0–01 की अनुपस्थिति में हुई जिससे प्रतिवादी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO. TS 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.11.2024	सं0–01 को अपना तथ्य आयुक्त के समक्ष रखने का अवसर नहीं प्राप्त हो सका तथा वादी द्वारा न्यायालय के साथ चालाकी करके कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन तथा गलत एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर न्यायालय को मिसलीड कर आदेश पारित करा लिया गया, जिससे प्रतिवादी को असम्यक कष्ट भोगना पड रहा है जबकि वादी के पास स्वत्व एवं दखल कब्जा के संबंध में एक भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त निषेधाज्ञा आदेश के बाद भूमि की जोत आबाद बंद हो जाने से प्रतिवादी सं0–01 को अपना भरण पोषण, दवा, ईलाज हेतु कर्ज लेना पड रहा है। बक्खशीशनामा वाली भूमि के अलावा जीने का कोई आधार नहीं रह गया है। पूर्व के आदेश दिनांक 15.04.2019 को अपास्त कर वाद के उचित एवं त्वरित न्यायय हेतु आवश्यक है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आदेश दिनांक 15.04.2019 को अपास्त करते हुए उचित एवं स्पष्ट आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 28.06.2024 को दाखिल कर कहा गया कि प्रतिवादी सं0–01 द्वारा दाखिल आवेदन परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। दिनांक 15.04.2019 को श्रीमान् के द्वारा उभय पक्षों के सनुवाई के उपरांत आदेश के कंडिका 05 के अंतिम पंक्ति में स्पष्ट किया है कि उभय पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद का होना कहा है। फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि अंतरण होने की संभावना भी प्रतीत होती है। इस तरह न्यायालय द्वारा वादपत्र की मद सं0–02 की भूमि पर वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया है। यथास्थिति के आदेश के पश्चात् प्रतिवादी सं0–02 प्रमोद कुमार जयसवाल के द्वारा वादपत्र के मद सं0–02 की भूमि को अपने अधिवक्ता गौरीशंकर शुक्ला के पक्ष में निबंधित बयनामा किया गया है।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO. TS 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.11.2024	प्रतिवादी सं0–02 का नाम मृत्यु पश्चात् वादपत्र से विलोपित हुआ है। प्रतिवादी सं0–01 एवं प्रतिवादी सं0–02 के द्वारा दिनांक 19.01.2024 एवं 20.01.2024 को वादपत्र के मद सं0–02 की भूमि पर यथास्थिति के आदेश का उल्लंधन करते हुए वादग्रस्त भूमि पर ईट की दिवाल का निर्माण करने लगे एवं वाद के प्रारंभ होने के पूर्व वादी द्वारा निर्मित निर्माण को ध्वस्त करने लगे। जिसके कारण वादी द्वारा विविध वाद सं0–02/2024 न्यायालय सब जज प्रथम नरकटियागंज के यहाँ दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के द्वारा यथास्थिति के आदेश का उल्लंधन करने के कारण शिकारपुर थाना काण्ड सं0–54/2024 दिनांक 19.01.2024 दर्ज हुआ जिसमें धारा 447, 188, 504, 406 एवं 427 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज है। वादपत्र के मद सं0–02 की भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि वादी के पास नहीं है। यदि श्रीमान् के द्वारा यथास्थिति के आदेश को वापस लिया जाता है तो प्रतिवादी सं0–01 वाद भूमि की बिक्री कर देगी और वादी न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा अर्जी नालिश के मद न0–02 की भूमि पर स्वत्व अधिकार की घोषणा तथा अन्य अनुतोषों हेतु लाया है तथा यह भी विदित होता है कि पूर्व में वादी द्वारा दिनांक 29.11.2018 को अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन दाखिल किया गया था जिस पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 09.04.2019 को दाखिल किया गया था तथा उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है :– **‘‘वादपत्र के मद सं0–02**	

लगातार 14.11.2024	**में दी गई वादग्रस्त भूमि पर वाद के निस्तारण तक उभय पक्षों को यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। जहाँ तक वादग्रस्त भूमि में लगी फसल को कटवाने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर उभय पक्षों की अग्रिम सुनवाई उपरांत उचित आदेश पारित किया जायेग।''** अतः उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा फसल कटवाने के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया तथा यह अभिनिर्धारित किया गया के इस पर सुनवाई के उपरांत आदेश पारित किया जायेगा परंतु इस बिन्दु पर न्यायालय द्वारा अभी तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है तथा दिनांक 16.04.2024 को प्रतिवादी सं0–01 द्वारा अंतर्गत आदेश 39 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन दिया गया जिसके प्रत्युत्तर आने के उपरांत तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत वाद आज सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत किया गया है। **''आदेश 39 नियम 4 के अनुसार एक आवेदन केवल तभी स्वीकृत है जब अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन में या ऐसी आवेदन करने वाले हलफनामे में किसी पक्ष ने किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में गलत एवं भ्रामक ब्यान दिया हो और विपरीत पक्ष को नोटिस दिये बिना नोटिस दी गयी हो। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 4 का दूसर प्रावधान यह निर्धारित करता है कि जहां किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश को तब तक मुक्त, परिवर्तित या उपास्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ऐसा निर्वहन, परिवर्तन या अपास्त करना आवश्यक न हो या जब तक कि न्यायालय को यह संतुष्टि न हो कि आदेश ने उस पक्ष को अनुचित कठिनाई पहुँचाई है।''** प्रतिवादी सं0–02 का कथन है कि प्रतिवादी सं0–01	

लगातार 14.11.2024	उनके पति है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा पति के मृत्यु के पश्चात् भरण पोषण एवं दवा, ईलाज हेतु कोई सरहारा नहीं रह गया है क्योंकि मद सं0–04 में वर्णित भूमि जो निबंधित बक्स्शीशनामा के आधार पर वाद दाखिल करने से करीब 24 वर्ष पूर्व से शांतिपूर्वक दखल कब्जा और जोत आबाद में चलते आ रहे थे तथा यथास्थिति का आदेश पारित होने के उपरांत भूमि परती पड गयी है। वादी फसल नष्ट करवा दे रहे है जबकि भूमि खेतिहार एवं सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है। वादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में इस संबंध में किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है अपितु सिर्फ यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–01 सुन्दरपति देवी एवं रचना कुमारी द्वारा दिनांक 19.01.2024 एवं दिनांक 20.01.2024 को मद सं0–02 की भूमि पर यथास्थिति के आदेश का उल्लंधन किया है तथा ईट की दिवाल खड़ी करने का प्रयास किया है। जिसके कारण उनके विरूद्ध विविध वाद सं0–02/2024 सब जज न्यायालय में दाखिल किया गया है तथा शिकारपुर थाना काण्ड सं0–54/2024 दर्ज किया गया है तथा वादी का अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से यह भी कथन किया गया है कि अगर यह आदेश वापस लिया जाता है तो प्रतिवादी सं0–01 वादग्रस्त भूमि बिक्री कर देगी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष, शिकारपुर के पत्रांक 1558/2024 दिनांक 14.06.2024 के द्वारा आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत वाद से संबंधित वादग्रस्त भूमि पर किसी पक्ष द्वारा जोत आबाद की जाय या नहीं, संबंधी मार्गदर्शन की माँग की गई है। प्रतिवादी सं0–01 की पति की मृत्यु हो चुकी है तथा यह गृहिणी है, यह तथ्य निविवाद है। प्रतिवादी सं0–01 का जिविकोपार्जन का एक मात्र स्त्रोत विवादित भूमि पर खेती करना है, इस तथ्य को वादी ने भी कहीं इंकार नहीं किया है।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–148/2018

CIS NO. TS 509/2018

मुकेश जयसवाल.....वादी

बनाम

सुन्दरपति देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 14.11.2024	किसी उपजाउ भूमि पर फसल नहीं उगाना तथा उसे परती छोडे रहना भी उचित प्रतीत नहीं होता है तथा यह पर्यावरण के प्रतिकुल भी है और प्रतिवादी सं0–01 को जोत आबाद की आवश्यकता भी प्रतीत होती है परंतु विवादित भूमि पर अभी प्रतिवादी सं0–01 का दखल कब्जा है अथवा नहीं, इस संबंध में न्यायालय के पास इसे अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः अंचलाधिकारी, नरकटियागंज तथा पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष, शिकारपुर थाना को आदेशित किया जाता है कि इस संबंध में अपना प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करें कि विवादित भूमि पर यथास्थिति का आदेश पारित करते समय तथा उसके पूर्व एवं इस समय किस पक्ष का दखल कब्जा है? तथा विवादित भूमि की यथास्थिति क्या है? अभिलेख अवलोकन से न्यायालय को यह भी प्रतीत होता है कि इस आवेदन के आदेश पारित होने तक वाद की कार्यवाही को रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। अतः उभय पक्षों को आदेश दिया जाता है कि वाद निष्पादन में सहयोग करें एवं कार्यालय लिपिक अंचलाधिकारी, नरकटियागंज एवं पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष, शिकारपुर थाना को आदेश की एक प्रति भेजें। वाद दिनांक 29.11.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	